

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)

प्रलिस के लयः

उचित और लाभकारी मूल्य (FRP), गन्ना ।

मेन्स के लयः

कृषि मूल्य नरिधारण, भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी उत्पादन, गन्ना उद्योग के समकष चुनौतयिँ ।

चर्चा में क्यँ?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव जारी कया गया जो चीनी मलिँ को दो चरणों में मूलभूत उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price- FRP) का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा ।

प्रमुख बदि

सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव में बदलावः

- पहली कश्ति का भुगतान गन्ने की डलिवरी के 14 दनिँ के भीतर करना होगा और यह जलि की औसत वसूली (Average Recovery Of The District) के अनुसार होगा ।
- अंतमि वसूली की गणना के बाद मलि बंद होने के 15 दनिँ के भीतर मलि द्वारा कसिनों को दूसरी कश्ति का भुगतान कया जाएगा, जसिमें उत्पादति चीनी और 'बी हेवी' (B Heavy) या 'सी' शीरे ('C' Molasses) से उत्पादति इथेनॉल को ध्यान में रखकर भुगतान कया जाएगा ।
- इस प्रकार पछिले सीज़न के FRP पर नरिभर रहने के बजाय कसिनों को मौजूदा सीज़न की वसूली के अनुसार भुगतान कया जाएगा ।

महाराष्ट्र में कसिनों के वरिँध का कारणः

- कसिनों का तर्क है कि इस पद्धतिसे उनकी आय प्रभावति होगी तथा FRP का भुगतान कश्तों में कया जाएगा जसिमें काफी अंतर वदियमान होगा, साथ ही उसमें पूरव की तरह बैंक ऋण और अन्य खर्चों का भुगतान शामिल होने की उम्मीद है ।
- कसिनों को एकमुश्त धनराशि की आवश्यकता ज़्यादातर मौसम की शुरुआत (अक्टूबर-नवंबर) में होती है क्यँकि उनका अगला फसल चक्र इसी पर नरिभर करता है ।

FRP के बारे मेंः

- FRP सरकार द्वारा घोषति मूल्य है जसि पर मलिँ कसिनों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लयि बाध्य हैं ।
 - मलिँ के पास कसिनों के साथ समझौते के लयि हस्ताक्षर करने का एक वकिलप है, जो मलिँ द्वारा कसिनों को कश्तों में FRP का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है ।
 - भुगतान में देरी पर 15% तक प्रतविरष ब्याज लग सकता है और चीनी आयुक्त (Sugar Commissioner) मलिँ की संपत्तयिँ को संलग्न कर राजस्व वसूली के तहत बकाया के रूप में अदत्त एफआरपी (Unpaid FRP) की वसूली कर सकते हैं ।
- देश भर में FRP का भुगतान [आवश्यक वस्तु अधनियम \(EAC\), 1955](#) के तहत जारी गन्ना नरिंतरण आदेश, 1966 द्वारा नरिंतरति होता है, जो गन्ने की डलिवरी की तारीख के 14 दनिँ के भीतर भुगतान को अनविरय करता है ।
- यह कृषिलागत और मूल्य आयोग (CACP) की सफिराशि के आधार नरिधारति तथा आर्थकि मामलों की मंत्रमिडलीय समति (CCEA) द्वारा घोषति कया जाता है ।
 - CACP कृषि और कसिन कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है । यह एक सलाहकार नकिया है, अतः इसकी सफिराशिँ सरकार के लयि बाध्यकारी नहीं हैं ।
 - CCEA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है ।

- FRP [गन्ना उद्योग](#) के पुनर्र्गठन को लेकर **रंगराजन समिति** की रिपोर्ट पर आधारित है।

FRP की घोषणा हेतु प्रमुख कारक:

- गन्ना उत्पादन की लागत।
- वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों की वापसी और कृषिविस्तृतुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता।
- चीनी उत्पादकों द्वारा बेची गई चीनी का मूल्य।
- गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा।
- उप-उत्पादों की बिक्री से होने वाली प्राप्त अर्थात् गुड़, खोई और उन पर आरोपित मूल्य।
- गन्ना उत्पादकों के लिये जोखिम और मुनाफे के कारण उचित मार्जनि।

FRP का भुगतान:

- FRP का भुगतान **गन्ने से प्राप्त चीनी** पर आधारित है।
 - चीनी सीज़न 2021-22 के लिये 10% की बेस रकिवरी पर FRP 2,900 रुपए प्रतिटन तय किया गया है।
- चीनी की रकिवरी (Sugar Recovery) उत्पादित चीनी तथा गन्ने की पेराई** के अनुपात के बराबर होती है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- रकिवरी जितनी अधिक होगी, FRP उतना ही अधिक होगा तथा चीनी का उत्पादन अधिक होगा।

गन्ना (Sugarcane):

- तापमान** : उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच।
- वर्षा** : लगभग 75-100 सेमी।
- मिट्टी का प्रकार** : गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी।
- शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य** : उत्तर प्रदेश> महाराष्ट्र> कर्नाटक> तमिलनाडु> बिहार।
- ब्राज़ील के बाद **भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
- इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।
- इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
- यह **चीनी**, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है।
- चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं-** चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता योजना (SEFASU) और **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति** गन्ना उत्पादन योजना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस